संख्या–3711/41–2010–35 सा0/09

प्रेषक,

वी0के0सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग   लखनऊ दिनांक 07 फरवरी, 2011

विषय– पर्यटक आवास गृह, झॉसी व अन्य प0आ0गृहों की नजूल भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशालय के पत्र सं0–1671/6–1–1 (प0आ0गृह, झॉसी)/2010 दिनांक–10.12.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में निम्नलिखित पर्यटक आवास गृहों की भूमि का स्वामित्व/रजिस्ट्री पर्यटन निदेशालय/पर्यटन विभाग के पक्ष में दर्ज कराये जाने हेतु रू0–5,53,67,330/– (रूपये पॉच करोड तिरपन लाख सडसठ हजार तीन सौ तीस मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	आवास गृह का नाम	स्वीकृत धनराशि	विवरण
1.	पर्यटक आवास गृह झॉसी की 6630.11 वर्गमीटर भूमि हेतु 40 प्रतिशत की अवशेष धनराशि	रू05,53,55,580.00	नजूल भूमि के मूल्य की 40 प्रतिशत की अवशेष धनराशि जमा करने हेतु,
2.	गोकुल रेस्टोरेन्ट, मथुरा की 4312 वर्गमीटर भूमि के रजिस्ट्रीकरण शुल्क पर व्यय की गयी धनराशि	रू0 11,750.00	रजिस्ट्री शुल्क पर व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति।
	योग	रू05,53,67,330.00	(रूपये पॉच करोड तिरपन लाख सडसठ हजार तीन सौ तीस मात्र)

2– पर्यटक आवास गृह, झॉसी की भूमि के भुगतान हेतु उपरोक्त धनराशि का आहरण कर सम्बन्धित विभाग को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

3– तद्नुसार भुगतान की गयी धनराशि के फलस्वरूप आवास गृह की भूमि का स्वामित्व पर्यटन निदेशालय/पर्यटन विभाग के पक्ष में दर्ज/रजिस्ट्री कराये जाने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

–2–

5– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजना हेतु कदापि नहीं किया जायेगा यदि कोई स्वीकृत धनराशि बचती है तो उसे यथावश्यक समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

6– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन एवं महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को दिनांक 31.3.2011 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष– 2010 – 11 के आय – व्ययक के अनुदान सं0–44 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक – 5452 – पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय – आयोजनागत – 80 – सामान्य – 104 – संवर्धन तथा प्रचार – 03–पर्यटक आवास गृहों के लिए भूमि की अध्याप्ति – 24 – वृहत निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभग के अशासकीय संख्या–ई–7–127/दस–2011 दिनांक– 03 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(वी0के0सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–3711 (1)/41–2010 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) उ0प्र0, सत्यनिष्ठा भवन, 15 ए दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. जिलाधिकारी, झॉसी।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय , उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–7/नियोजन अनुभाग–4
7. सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी।
8. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यटन उ0प्र0 शासन।
9. निजी सचिव, सचिव, पर्यटन उ0प्र0 शासन।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 लखनऊ।
11. श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब–साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(वी0के0सिंह)
विशेष सचिव